



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

29 आश्विन 1946 (श10)

(सं० पटना 1018) पटना, सोमवार, 21 अक्टूबर 2024

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग

अधिसूचना

16 अक्टूबर 2024

सं० 3/विविध-1017/2024-1094—भारत के संविधान के अनुच्छेद-309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल एतद् द्वारा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अधीन क्षेत्रीय कार्यालयों हेतु कार्य निरीक्षकों की भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।-

- यह नियमावली, "बिहार राज्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग क्षेत्रीय कार्य निरीक्षक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2024" कही जा सकेगी।
- इसका विस्तार लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार के अधीनस्थ क्षेत्रीय स्थापना के कार्यालयों तक होगा।
- यह राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

2. परिभाषाएँ ।- इस नियमावली में, जब तक विषय या संदर्भ के अन्यथा न हो,-

- "संवर्ग" से अभिप्रेत है क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के स्थापना अन्तर्गत कार्य निरीक्षक संवर्ग,
- "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है बिहार सरकार,
- "राज्यपाल" से अभिप्रेत हैं बिहार के राज्यपाल,
- "नियुक्ति प्राधिकार" से अभिप्रेत है संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,
- "संवर्ग नियंत्रि प्राधिकार" से अभिप्रेत है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के क्षेत्रीय मुख्य अभियंता,
- "विभाग" से अभिप्रेत है लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार,
- "आयोग" से अभिप्रेत है बिहार तकनीकी सेवा आयोग,
- "वर्ष" से अभिप्रेत है वित्तीय वर्ष अर्थात् 1 अप्रैल से अगले वर्ष की 31 मार्च तक की अवधि।

3. **संवर्ग की संरचना।— (i) कार्य निरीक्षक की संवर्ग की संरचना निम्नवत् होगी:—**

पद का नाम	पदों का स्तर
कार्य निरीक्षक	मूल कोटि

4. **उम्र सीमा।—** कार्य निरीक्षक के पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु आवेदन आमंत्रित करने वाले वर्ष के 1 अगस्त को 18 वर्ष होगी। अधिकतम आयु सीमा वही होगी, जो बिहार सरकार द्वारा समय-समय पर विनिश्चित की जाय।

5. **आरक्षण।—** इस संवर्ग में नियुक्ति में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित आरक्षण/रोस्टर के प्रावधान लागू होंगे।

6. **नियुक्ति।—**

- कार्य निरीक्षक पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी को किसी मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) से ड्राफ्ट मैन सिविल/सर्वेयर/प्लम्बर की परीक्षा उत्तीर्ण के साथ न्यूनतम शैक्षणिक अहर्ता मान्यता प्राप्त बोर्ड/समकक्ष संस्थान से मैट्रिक (दसवीं) उत्तीर्ण होगी। कार्य निरीक्षक के पदों पर सीधी नियुक्ति आयोग द्वारा कार्य निरीक्षक के पदों पर आयोजित परीक्षा में प्राप्त अंक के आधार पर की जायेगी।
- आयोग रिक्तियों को विज्ञापित करेगा एवं प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर सफल अभ्यर्थियों का चयन कर संबंधित नियुक्ति प्राधिकारों को मेधा क्रम में अभ्यर्थियों के नाम की अनुशंसा करेगा। मेधा सूची की वैधता अनुशंसा प्राप्ति की तिथि से एक वर्ष तक रहेगी।
- सम्यक जाँचोपरान्त के बाद अभ्यर्थियों की नियुक्ति नियुक्ति प्राधिकार द्वारा की जायेगी।
- उक्त पद का वेतनमान वही होगा, जो सरकार के वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जायेगा।

7. **लिखित प्रतियोगिता परीक्षा हेतु लिखित पाठ्यक्रम।—** कार्य निरीक्षक के पद पर चयन हेतु आयोग द्वारा 100 अंकों की प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। प्रतियोगिता परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग द्वारा विभाग की सहमति से निर्धारित किया जायेगा।

8. **परिवीक्षा अवधि।—**

- मौलिक रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्त होने वाला प्रत्येक कार्य निरीक्षक पद ग्रहण की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा।
- परिवीक्षा अवधि पूरी होने के उपरान्त कार्य निरीक्षक का आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पाया जाय तो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित किये जा सकने वाले कारण से परिवीक्षा अवधि एक वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकेगी। यदि विस्तारित अवधि में भी आचरण एवं सेवा संतोषजनक नहीं पायी जाय तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकेगी।

9. **प्रशिक्षण।—** सरकार द्वारा किये गए विनिश्चय के आधार पर कार्य निरीक्षकों के लिए समय-समय पर प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। यदि प्रशिक्षण के अंत में कोई परीक्षा नियत की जाती है तो उसमें उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य होगा।

10. **सम्पुष्टि।—** परिवीक्षा पर नियुक्त कार्य निरीक्षक परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए सेवा में सम्पुष्टि का पात्र होगा:—

- सरकार द्वारा विहित विभागीय परीक्षा, यदि कोई हो, उत्तीर्ण हो,
- समय-समय पर विहित किया जाने वाला प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया गया हो और प्रशिक्षण के अंत में कोई परीक्षा हो तो उसमें उत्तीर्ण हो चुका हो,
- इस अवधि में उसका आचरण एवं उसकी सेवा संतोषजनक रही हो।
- हिन्दी टिप्पण-प्रारूपण परीक्षा एवं कम्प्यूटर सक्षमता जाँच परीक्षा में उत्तीर्ण हो।

11. **वरीयता।—** इस सेवा के सदस्यों की वरीयता आयोग से प्राप्त मेधा सूची के क्रमानुसार होगी तथा यह राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर नियत सिद्धान्तों एवं प्रक्रिया का अनुपालन करते हुए नियुक्ति प्राधिकार द्वारा अवधारित की जा सकेगी।

12. **प्रकीर्ण।—** स्थापना संबंधी कार्यों का नियंत्रण—

- इस संवर्ग के सदस्यों की नियुक्ति एवं स्थापना संबंधी सभी कार्य सम्बन्धित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार के अधीन होंगे।
- इस संवर्ग के सदस्यों की नियुक्ति, पदस्थापन, स्थानान्तरण, सेवा-सम्पुष्टि, वरीयता सूची का संधारण एवं स्थापना संबंधी सभी विषय यथास्थिति, संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियंता के अधीन होंगे। अभाव जैसी आकस्मिक आवश्यकता/आवश्यक जरूरत होने अथवा प्रशासनिक आधार पर अन्य प्रक्षेत्र में स्थानान्तरण करने की शक्ति अभियंता प्रमुख-सह-विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को होगी।

13. कठिनाईयों का निराकरण।—यदि सरकार को यह समाधान हो जाय कि इस संवर्ग में नियुक्त कर्मियों की सेवा-शर्तों से संबंधित किसी नियम को किसी विशेष मामलों में लागू करने में कठिनाई हो, तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा विधि विभाग से परामर्श के पश्चात् उसे दूर कर सकेगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
पंकज कुमार,
प्रधान सचिव।

16 अक्टूबर 2024

सं० 3/विधि-1017/2024 विभागीय अधिसूचना संख्या 1094 दिनांक 16 अक्टूबर 2024 के तहत निर्गत "बिहार राज्य लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग क्षेत्रीय कार्य निरीक्षक संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2024" का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद, बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारत-संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अंतर्गत, उक्त नियमावली का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
पंकज कुमार,
प्रधान सचिव।

The 16th October 2024

No-3/Misc-1017/2024-1094—In exercise of powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Bihar is pleased to make following Rules to regulate the appointment and other service conditions of the Work Supervisor Cadre under regional office of the Public Health Engineering Department of the State Government:-

1. **Short title, extent and Commencement.**—
 - (i) These Rules may be called as the "Bihar State Public Health Engineering Department Regional Work Supervisor Cadre (Appointment and Service Conditions) Rule, 2024".
 - (ii) It Shall extend to the establishment of regional offices under Public Health Engineering Department of Bihar.
 - (iii) It Shall come into force after publication in official gazette.
2. **Definition .-** *In these Rules, unless otherwise required in the subject/context-*
 - (i) "**Cadre**" means the Work Supervisor Cadre within the establishment of Regional Chief Engineer, Public Health Engineering Department of the State Government;
 - (ii) "**State Government**" means the Government of Bihar;
 - (iii) "**Governor**" means the Governor of Bihar;
 - (iv) "**Appointing Authority**" means the Concerned Regional Chief Engineer, Public Health Engineering Department ;
 - (v) "**Cadre Controlling Authority**" means the Regional Chief Engineer of Public Health Engineering Department;
 - (vi) "**Department**" means the Public Health Engineering Department, Bihar;
 - (vii) "**Commission**" means the Bihar Technical Service Commission; and
 - (viii) "**Year**" means the financial year, i.e., from April 1st to March 31st of the following year.
3. **Structure of the cadre .-** *The structure of the cadre of the Work Supervisor shall be as follows :-*

Name of the Post	Level of the Post
Work Supervisor	Basic Grade

4. **Age Limit .—**The minimum age for a candidate applying for the post of the Work Supervisor should be 18 years as of August 1st of the year of recruitment. The maximum age limit shall be as determined by the Government of Bihar from time to time.
5. **Reservation .—** The provisions of reservation/roaster, as prescribed by the State Government from time to time, shall be applicable in the recruitment for this cadre.
6. **Appointment .—**
 - (i) For appointment to the post of Work Supervisor, the candidate must have passed the examination of Draftsman Civil/ Surveyor/ Plumber from a recognized Industrial Training Institute (I.T.I) along with a minimum educational qualification of Matriculation (10th standard) from recognized Board/ equivalent institution.
The Direct Recruitment to the post of Work Supervisor shall be done by the Commission on the basis of marks obtained in the examination conducted for the post of Work Supervisor.
 - (ii) The Commission will notify the vacancies and on the basis of the competitive examination, the commission will recommend to the concerned Appointing Authority after selecting eligible candidates in order of the merit. The validity of the merit list will remain for one year from the date of receiving the recommendation.
 - (iii) After thorough verification, the appointment of the candidates shall be done by the appointing authority.
 - (iv) The pay scale of this post shall be same, as determined by the Finance Department of the Government from time to time.
7. **Written Syallabus for the Written Competitive Examination .—**For selection to the post of Work Supervisor, a written competitive examination of 100 marks will be conducted by the Commission. The syllabus of the competitive examination shall be determined by the Commission with the consent of the Department.
8. **Probation Period .—**
 - (i) Every Work Supervisor appointed on a temporary basis against basic vacant post shall remain on probation for a period of one year from the date of appointment.
 - (ii) The probation period may be extended for another one year by the appointing authority with reasons recorded in writing, if the conduct and service during the probation period is not found satisfactory. If the conduct and service are not found satisfactory even during the extended period, the service may be terminated.
9. **Training .—**The Training for Work Supervisors shall be mandatory from time to time as per the decision of the government. It will also be mandatory to pass the examination conducted at the end of the training period, if any.
10. **Confirmation .—**A Work Supervisor appointed on probation will be eligible for confirmation in service after completing the probation period under the following conditions:
 - (i) Must have passed the departmental examination, if any, prescribed by the government.
 - (ii) Must have completed the training prescribed from time to time and has passed examination, if any, at the end of the training,

- (iii) His /Her conduct and service during this period must have been satisfactory.
 (iv) Must have passed the Hindi noting and drafting examination and computer proficiency test.
11. **Seniority.**—The seniority of the members of this service shall be determined according to the merit list received from the Commission and the same can be determined by the appointing authority in accordance with the principles and procedures prescribed by the General Administration Department of the State Government from time to time.
12. **Miscellaneous .**— Control of establishment related works- \
- (i) all matters related to Appointment and Establishment of members of this cadre shall be under the jurisdiction of the concerned Regional Chief Engineer, Public Health Engineering Department, Bihar.
- (ii) All matters related to the appointment, posting, transfer, service confirmation, upkeep of seniority list and establishment-related all subject of this cadre shall be under the jurisdiction of the concerned Regional Chief Engineer. The power to transfer in other zone shall be With Engineer-in-chief-cum-Special Secretary, Public Health and Engineering Department in case of exigencies arising due to sudden requirement, paucity and administrative ground.
13. **Removal of Difficulties.**— If the Government is determined that there is difficulty in applying any rule in any particular matter regarding Service conditions of Staff appointed in this cadre, the State Government, with the concurrence of the Law Department, may remove such difficulties by a notification.

By order of the Governor of Bihar,
PANKAJ KUMAR,
Principal Secretary to Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
 बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
 बिहार गजट (असाधारण) 1018+571+10-डी०टी०पी०।
 Website: <http://egazette.bih.nic.in>